न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15/22 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2022/42

उनवान

1. सरवती पत्नी स्व0 भगवान सिंह
2. जेल सिंह पुत्र स्व0 भगवान सिंह
3. बन्टू पुत्र स्व0 भगवान सिंह
4. राजन देई पुत्र स्व0 भगवान सिंह

समस्त जातिगण लोधा निवासीगण घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राजस्थान।
.....अपीलांट।

बनाम

1. कप्तान सिंह पुत्र पतोली जाति लोधा निवासी घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राजस्थान।
..... असल रेस्पोडेण्ट

2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैंपऊ जरिये प्रबंधक महोदय।
3. तहसीलदार साहब तहसील सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर।
.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी सैपऊ दि0 13.04.2022 प्र.सं. 73/2018 उनवानी सरवती बनाम कप्तान सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री हरवीर सिंह सिकरवार, वकील अपीलांट।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–25.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/असल रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी। परन्तु उक्त आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं माना एवं बिना कोई कारण बताये आपत्ति को खारिज कर दिया, जो बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं मौका देखकर निर्णय दिया। अभिभाषक ने मौका देखकर शपथ पत्र दिया एंव नजरी नक्शा में अपीलाण्ट का हिस्सा खाली बताया है। जबकि विभाजन प्रस्तावो में पटवारी ने सम्पूर्ण जमीन का कब्जा खसरा नम्बर 366 में प्रतिवादीगण रैस्पो0 का बता दिया। विवादित खसरा नम्बर 366 गॉव के पास एवं रास्ते के पास का रकवा है, जो सम्पूर्ण रैस्पो0 को दे दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तहसीलदार सैपऊ से दिनांक 06.04.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट द्वारा जरिये अभिभाषक खसरा नम्बर 366 बाबत् आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अभिभाषक श्री हरवीर सिंह को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की रिपोर्ट तलव की गयी है। मौका कमश्निर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.06.2022 में, मय नजरी नक्शा, विवादित आराजी खसरा नम्बर 366 का लगभग आधा हिस्सा खाली पडा हुआ एवं पटवारी हल्का द्वारा रैस्पो0 को अनुचित लाभ दिलाने की वजह से खसरा नम्बर 366 के सम्पूर्ण भाग में मकानात बने हुये बताया जाकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 366 को रैस्पो0 के कुर्रे में दिया जाना बताया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट पर विश्वास ना करते हुये, अपीलाण्ट की आपत्ति महज दो लाईन में बिना कोई कारण स्पष्ट किये खारिज कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलाण्ट की आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये, यथाउचित/गुणावगुण पर निर्णय पारित करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की आपत्ति के निर्णय में मात्र यह अंकित किया है कि वकील वादी द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 366 की मौका रिपोर्ट तलव की गयी है एवं मौका रिपोर्ट में विवादित खसरा नम्बर के आधे हिस्से को खाली होना बताया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर विश्वास ना करते हुये ममनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2022 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार को निर्देशित करे कि वह स्वयं पक्षकार की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 366 का मौका मुयाना कर पक्षकारो के मध्य विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 29.10.2024 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर